

प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-06

[नियम 138ड देखें]

संदर्भ सं०.:

तारीख:

सेवा में

_____ जीएसटीआईएन

----- नाम

_____ पता

ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा को अनिर्द्ध करने हेतु आवेदन मंजूर/नामंजूर करने का आदेश

एआरएन आवेदन:

तारीख:

केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138ड के निबंधनानुसार तारीख से ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा निर्द्ध की गई थी।

मैंने मामले के तथ्यों और ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

मैं आवेदन स्वीकार करता हूं और निम्नलिखित आधारों पर ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिर्द्ध करने का आदेश करता हूं :

- 1.
- 2.

कृपया नोट करें कि सिस्टम में (तारीख) के पश्चात् ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा अवरुद्ध कर दी जाएगी यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138ड के निबंधनों में व्यतिक्रमी बना रहता है।

या

मैंने मामले के तथ्यों और ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

मैं निम्नलिखित आधारों पर ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिर्मुक्त करने का आवेदन नामंजूर करता हूँ:

- 1.
- 2.

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

अधिकारिता:

पता:

टिप्पण: विस्तृत आदेश/कारण(कारणों) के लिए पृथक दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।"।